

**श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु निरीक्षण हेतु दिशा निर्देश**

1. श्रम निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले अधिनियमवार एवं स्थापनावार लक्ष्य संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा जिले में श्रम निरीक्षक को आवंटित सर्कल में उपलब्ध दुकान, होटल, मल्टीप्लेक्स, कारखाने, ईट भट्टे, क्रशर, मोटर ट्रांसपोर्ट, अण्डरटेकिंग, बीड़ी, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, कृषि नियोजन, भवन निर्माण इत्यादि नियोजन वाली उपलब्ध स्थापना के आधार पर किया जावेगा।
2. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा यह भी निश्चित किया जावेगा कि श्रम निरीक्षक प्रतिमाह निरीक्षण में से कितने निरीक्षण दुकान एवं स्थापना में, फैक्ट्री में, वाणिज्यिक स्थापना में, कृषि, भवन निर्माण इत्यादि नियोजन में करेंगे। ऐसा निर्धारण कर उक्त आदेश की प्रति श्रमायुक्त कार्यालय को भेजेंगे।
3. श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण प्रमुख रूप से उन प्राक्धानों में ही किया जावे, जो श्रमिक हित से जुड़े हुए हो। अधिनियमवार निरीक्षण हेतु मुख्य प्राक्धान (चेकलिस्ट) जिनमें निरीक्षण किया जाना है, निम्नानुसार है:-

**(1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948**

(i) अधिनियम की धारा 12 एवं नियम 1 के अन्तर्गत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का प्रदाय सुनिश्चित कराना

(ii) अधिनियम की धारा 18 एवं मध्यप्रदेश नियम 29 (1), (2), (5) एवं 31 (ए) के अन्तर्गत श्रमिक से संबंधित अभिलेख, मस्टर रोल, वेतन पंजी, नियोजन पत्रक एवं श्रमिकों को वेतन पर्ची का प्रदाय।

**(2) संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970**

(i) अधिनियम की धारा 7 नियम 17 (1) के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जावे।

(ii) अधिनियम की धारा 12 एवं नियम 21 (1) के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना एवं धारा 13 (3) नियम 29 (1) नवीनीकरण करना सुनिश्चित किया जावे।

(iii) ठेका श्रमिकों के कल्याण तथा स्वास्थ्य के संबंध में विहित प्राक्धानों जैसे- धारा 16 नियम 42 के अन्तर्गत केन्टीन, धारा 18 नियम 51, 57 के अन्तर्गत पेयजल एवं शौचालय, धारा 17 नियम 41 के अन्तर्गत रेस्ट रूम, धारा 19 नियम 58 के अन्तर्गत प्रथमोपचार तथा अन्य प्रसुविधाओं के संबंध में जांच की जावे।

(vi) धारा 21 एवं नियम 72 व 73 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक द्वारा समय पर श्रमिकों का भुगतान अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठेकेदार द्वारा किया जाना एवं इस भुगतान को प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(v) धारा 29 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक तथा ठेकेदारों द्वारा प्रावधानित पंजी एव अभिलेखों के संधारण की जांच की निम्न बिन्दुओं के संबंध में की जावे:-

(A) नियम 74 के अनुसार प्रमुख नियोजक द्वारा ठेकेदारों की पंजी के संधारण की जांच की जावे।

(B) नियम 75 के अन्तर्गत प्रत्येक ठेकेदारों द्वारा सभी श्रमिकों के नियोजन के संबंध में पंजी संधारित की जावे।

(C) नियम 76 के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को नियोजन पत्रक देना सुनिश्चित किया जावे।

(D) ठेका श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान तथा नियम 25 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के परिपालन की जांच निरीक्षण में की जावे।

(3) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

(i) स्थापना का पंजीयन अधिनियम की धारा 6 (2) नियम 3 (1) तथा नवीनीकरण की धारा 6 (5) नियम 5 (1) के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जावे।

(ii) दुकान एवं स्थापना जहां श्रमिक नियोजित है, उन्हें सप्ताह में एक दिन नियोजक द्वारा साप्ताहिक अवकाश धारा 13, 18 एवं 23 के अन्तर्गत दिलाया जाना सुनिश्चित करना।

(iii) दुकान एवं स्थापना, होटल, रेस्टोरेन्ट, मल्टीप्लेक्स में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 11, 16 एवं 21 के अन्तर्गत कार्य के घण्टों बाबद जांच की जावे।

(iv) धारा 26 नियम 13 (2) के अन्तर्गत कर्मचारियों को 14 आकस्मिक अवकाश एवं 30 विशेष अधिकार अवकाश का पालन सुनिश्चित कराया जावे।

(v) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नियम 1959 की धारा 54 नियम 20 अनुसार निर्धारित पंजी प्रपत्र एन नियोजक द्वारा संधारित करना सुनिश्चित कराया जावे।

(4) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961

(i) धारा 3 नियम 4, 8 (2) के अनुसार उपक्रम का पंजीयन नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जावे तथा नवीनीकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित हों।

(ii) अधिनियम की धारा 3 नियम 13 के अन्तर्गत प्रत्येक वाहन में पंजीयन कमांक अंकित करना सुनिश्चित किया जावे।

(iii) अधिनियम की धारा 10 नियम 24 (1) धारा 12 नियम 26 के अन्तर्गत प्रथमोपचार, यूनिफार्म तथा चिकित्सा सुविधा संबंधी प्रावधान की जांच की जावे।

(i)अ प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में निर्धारित कार्य के घण्टे, साप्ताहिक अवकाश तथा संवैतनिक अवकाश का लाभ धारा 13 नियम 27 एवं धारा 19 नियम 29 के अन्तर्गत दिया जाना सुनिश्चित करावे।

(5) बीडी एवं सिगांर कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

(i) अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 नियम 4 के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों की संख्या के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुज्ञप्ति एवं नवकरण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

(ii) ) अधिनियम की धारा 15 नियम 20 के अन्तर्गत औद्योगिक परिसर में पीने का पानी, शौचालय, झूलाघर, नहाने धोने की सुविधा, प्रथमोपचार आदि के संबंध में प्रावधानानुसार पालन की स्थिति के संबंध में।

(iii) कार्य के घण्टे, साप्ताहिक अवकाश, अधिसमय कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन भुगतान संबंधी प्रावधान भी निरीक्षण में देखे जावे।

(iv) बीडी बनाने के कार्य में लगे श्रमिकों को तेन्दुपत्ता, तंबाकू तथा धारा आदि नियमानुसार प्रदाय किया जा रहा है अथवा नहीं। यह भी देखे कि बीडी की छांट प्रावधान से अधिक तो नहीं की जा रही है।

(v) श्रमिकों को लागबुक प्रदाय की गई है अथवा नहीं यह भी देखा जावे।

(6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(i) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कारखाना अथवा ऐसे संस्थान जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित है में निरीक्षण संपादित किया जावे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य संबंधी संस्थानों में भी यह अधिनियम प्रभावशील किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत

निरीक्षण करते समय उन संस्थानों में विशेष रूप से निरीक्षण किया जावे, जहां बोनस का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में रूपये 10 हजार तक वेतन राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारी को बोनस भुगतान के लिए पात्र माना है किन्तु बोनस का भुगतान अधिकतम रूपये 3500/- की सीमा में किया जाना है।

(iii) बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 2 (21) में वेतन की परिभाषा दी गई है। अतः बोनस भुगतान के निर्धारण के समय मूल वेतन तथा विशेष भत्ते को दृष्टिगत रखकर ही बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

(iv) अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत न्यूनतम 8.33 प्रतिशत तथा धारा 11 के अन्तर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस भुगतान प्रावधान है। अतः न्यूनतम बोनस भुगतान के पश्चात अधिकतम बोनस की गणना में दस्तावेजों का पर्याप्त निरीक्षण किया जावे।

(v) बोनस भुगतान से संबंधित रजिस्टर ए, बी, सी, मेन्टेन कराना सुनिश्चित करें तथा नियोजकों द्वारा प्रपत्र ए,बी,सी,डी, श्रम कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावे।

#### (7) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

(i) महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रदाय अधिनियम की धारा 4 नियम 1 के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जावे।

(ii) श्रमिकों की भर्ती के समय महिला श्रमिक होने के कारण भेदभाव नहीं हो की भी जांच की जावे।

(iii) निरीक्षक को जहां महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों से कम भुगतान की स्थिति पाई जाये, निरीक्षण कर एवं संबंधित श्रमिकों के बयान लेकर धारा 7 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित प्राधिकारी (सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी) के समक्ष दावा एवं शिकायत प्रस्तुत की जावे। इस संबंध में तत्परता एवं सतर्कता बरतते हुए दावा एवं शिकायत का निराकरण शीघ्र कराया जावे।

#### (8) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

(i) धारा 12 के अन्तर्गत ऐसे संस्थान जहां बाल श्रमिक प्रतिबंधित है उन संस्थानों में धारा 3 एवं 14 के प्रावधान के संबंध में सूचना सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रमिकों के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 10.12.1996 के अनुसार प्रतिबंधित कार्य में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाने पर नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन तथा रुपये 20 हजार प्रति बाल श्रमिक क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने की कार्यवाही की जावे। यह राशि जमा नहीं कराने वाले पर वसूली की कार्यवाही की जावे।

(iii) ऐसी स्थापनाओं जहां बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित नहीं है वहां निरीक्षण के समय नियोजित बाल श्रमिकों के कार्य के घण्टे, अन्तराल (मध्यावकाश) की सूचना तथा रिकार्ड्स मेन्टेन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

**(9) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (नियोजन का विनियमन)**

**अधिनियम, 1996**

(i) अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत समस्त भवन निर्माण कार्य का स्थापना का पंजीयन सुनिश्चित कराया जावे।

(ii) निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत कार्य के घण्टे धारा 29 के अन्तर्गत अधिसमय कार्य के लिए दोगुनी राशि से भुगतान तथा नियोजक द्वारा धारा 30 के अन्तर्गत रजिस्टर तथा रिकार्ड्स मेन्टेन किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) कार्य स्थल पर अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत पीने के पानी, धारा 33 के अन्तर्गत शौचालय-मूत्रालय, धारा 34 के अन्तर्गत अस्थायी आवास व्यवस्था, धारा 35 के अन्तर्गत झूलाघर, धारा 36 के अन्तर्गत प्रथमोपचार, धारा 37 के अन्तर्गत केन्टीन संबंधी प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(iv) धारा 46 के अन्तर्गत निरीक्षकों को 30 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर सूचना भेजने संबंधी प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जावे।

**(10) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961**

(i) अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानानुसार प्रत्येक महिला कर्मचारी चाहे वह सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है एवं उसके द्वारा प्रसव दिवस के विगत 12 माह में कम से कम 80 दिवस वास्तविक कार्य किया गया हो, वह मातृत्व हितलाभ की पात्र होगी जिसमें ले-ऑफ एवं संवैतनिक अवकाश शामिल है।

(ii) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 नियम 1 एवं 2 के प्रावधानानुसार महिला को अधिकतम 12 सप्ताह की अवधि की मातृत्व हितलाभ की पात्रता होगी, जो कि 6 सप्ताह प्रसव के दिन तक तथा 6 सप्ताह उसके बाद की होगी।

(iii) अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानानुसार महिला को रुपये 250/- चिकित्सा बोनस की पात्रता होगी, यदि नियोजक निशुल्क सुविधा प्रदान नहीं कराते है।

## 11. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(1). नियम 3 के अन्तर्गत नियोजक द्वारा नियंत्रण प्राधिकारी को निम्नानुसार सूचना दी जावेगी :-

1. प्ररूप-ए में 30 दिन के अन्दर, संस्थान प्रारंभ करने की सूचना,
2. नियोजक/संस्थान के नाम, पते, व्यावसाय की प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में प्ररूप-बी में 30 दिन के अन्दर सूचना प्रस्तुत करना,
3. संस्थान बन्द करने की स्थिति में प्ररूप-सी में 60 दिन पहले सूचना देना।

(2). नियम 4 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पदनाम की सूचना संस्थान के प्रवेश द्वार/सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना।

(3). नियम 20 के अन्तर्गत अधिनियम एवं नियम का सारंश स्थापना के मुख्य द्वार पर सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना।

(4). अधिनियम की धारा 4-ए के अन्तर्गत उपादान भुगतान हेतु बीमा की आवश्यकता।

(5). नियम 6 के उप नियम 1 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा प्ररूप-एफ में नाम निर्देशन नियोजक को प्रस्तुत किया जाना तथा नियोजक द्वारा उसका सत्यापन किया जाना।

**(12) कारखाना अधिनियम 1948**

- (1) अधिनियम की धारा 6 से 7 के तहत कारखाना लायसेंस संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करवाये जाना
- (II) अधिनियम की धारा 11 से 20 के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करवाना जिसमें धूल एवं गैसेस की स्थिति, पीने का पानी, एवं शौचालय के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करवाना
- (iii) धारा 21 से 40 बी तक के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करवाया जाना जिसमें मुख्यतः प्लांट एवं मशीनों से सुरक्षा एवं खतरनाक गैसेस, आग एवं विस्फोटक स्थिति एवं सामग्री से बचाव सुनिश्चित करवा जाना तथा श्रमिकों के द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करवाया जाना
- (iv) धारा 41 बी, 41 सी, 41 एफ, जिसमें खतरनाक कारखानों में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के रिकार्ड, सुपरवीजन, आक्युपेशनल हेल्थ सेंटर एवं कार्य वातावरण में खतरनाक रसायनों की जांच संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करवाया जाना है ।
- (v) अधिनियम की धारा 42 से 50 तक के प्रावधान जिसमें मुख्यतः प्रथमोपचार व्यवस्था केन्टीन एवं झूला घर संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करवाया जाना ।
- (vi) धारा 51 से 62 तक के प्रावधान जिसमें श्रमिकों के कार्य के समय, भुगतान, ओवर टाइम एवं इनसे संबंधित रिकार्ड से संबंधित प्रावधानों का सुनिश्चित किया जाना ।
- (vii) धारा 79 इसमें श्रमिकों के सवैतनिक अवकाश (वार्षिक छुटियां) एवं संबंधित रिकार्ड प्रावधानों का पालन करवाया जाना ।
- (viii) धारा 88 से 89 तक के प्रावधान जिसमें दुर्घटनाओं, आग एवं विस्फोट एवं व्यापक अन्य बीमारियों से संबंधित सूचनाओं संबंधी पालन सुनिश्चित किया जाना ।

**(13) वेतन भुगतान अधिनियम 1936 :-**

जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 18,000/- प्रतिमाह तक है के संबंध में अधिनियम की धारा 5 एवं 9 के अनुसार श्रमिकों को निर्धारित दिनांक तक बगैर अवैधानिक कटौतों के वेतन भुगतान करवाया जाना एवं उससे संबंधित रिकार्ड एवं पत्रक रखे जाना सुनिश्चित करवाया जाना ।

वेतन भुगतान नहीं किये जाने पर धारा (14) 4 के तहत वैधानिक आदेश देना एवं धारा 15 के अंतर्गत दावा प्रकरण तैयार करना ।



# Madhya Pradesh Pollution Control Board

## मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### SOP of Inspection

(Under section 23 of Water Act, 1974, under section 24 of Air Act, 1981 and under Section 10 of Environment (Protection) Act, 1986)

\*\*\*\*\*

To obtain consents under section 26 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and under section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and authorisation under rule 6 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 from M.P. Pollution Control Board, project proponent has to apply application online through MPPCB web portal XGN. Before grant of consent/authorisation inspection of the project/industry is being carried out as per the provisions of section 23 of Water Act, 1974, under section 24 of Air Act, 1981 and under Section 10 of Environment (Protection) Act, 1986 for ensuring environmentally safe location as per guidelines of MoEFCC/CPCB/MPPCB evolved time to time and operation / compliance of conditions by the project/unit/industry:

#### **Inspection for Consent to Establish (CTE)**

Inspection of the unit for consent to establish with reference to site specific aspects:

1. Verification of information provided in profile and application for consent / authorisation.
2. Site specific details for location of the plant with reference to habitation, Eco sensitive areas, surrounding units, water bodies, monuments, forest etc.
3. Latitude & Longitude of the site along with photographs of the site.
4. Layout plan with details of proposed location of source of air pollution (Boiler, furnace, reactor, process emission etc.) and water pollution (ETP, STP, CETP, SLF, treated water disposal area, outlet etc.)
5. Confirmation that no construction started at site prior to consent to establish.

#### **Inspection for Consent to Operate (CTO)**

Inspection of the unit for consent to establish with reference to site specific aspects:

1. Confirmation that the construction at site is as per proposal submitted for consent to establish.
2. Verification of information provided in profile and application for consent/authorisation.
3. Verification of layout plan with details of location of source of air pollution (Boiler, furnace, reactor, process emission etc.) and water pollution (ETP, STP, CETP, SLF, treated water disposal area, outlet etc.) as proposed during CTE application.
4. Verification of compliance of the conditions given in consent to establish.



5. Ensuring the complete installation of air and water pollution Control arrangements (technical specifications) as proposed during CTE {ETP, STP, APCS (Air Pollution Control System)} before grant of Consent to operate.

### **Inspection for e Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016**

Inspection of the unit for grant of authorisation under rule 6 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 :

1. Verification of information provided in profile and application for obtaining authorisation.
2. Technical details of SLF, storage, piezo meters
3. Ensuring that the plant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle hazardous waste safely.
4. Developing the conditions if any to be incorporated in the authorization for proper handling, storage and disposal of hazardous waste.

### **Inspection for renewal of Consent/authorisation (CCA)**

The consents and authorisations granted by the Board with conditions as per provisions of Water, Air & Environment Acts. Inspection of the unit for consent renewal:

1. Compliances of conditions of CTO/authorisation.
2. Ensure online submission of periodical returns
  - Environmental statement
  - Form-4 hazardous waste disposal
  - Form-13 disposal of hazardous waste
  - Air/water quality analysis reports
  - Record of operation/ of ETP/APCS
  - Energy meters record for ETP/APCS

### **Online submission of Inspection report for grant / rejection of applications of CTE /CTO/ authorisation or for legal action for violation of consent/authorisation conditions:**

1. Basic information is as per profile submitted by project proponents and duly verified by Environmental Engineer or Scientist.
2. Based on the observation of the above compliance, level of pollution and documents requisite recommendations are submitted online for deciding the cases of renewal.

*Note - Decision along with digitally signed document CTE/ CTO / authorisation /renewals / rejection dispatched online to the PPs and can be printed at their desktop. It is also made available on public domain at [xgn.mp.nic.in](http://xgn.mp.nic.in) at “consent register” link.*

**By Order: Member Secretary**

# DIRECTORATE OF BOILERS

## GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

### Central Inspection System Inspection Procedure and Check list under The Boilers Act, 1923

- 1. Standard Inspection Procedure and Check list for Ground Inspection of Boiler Under Registration/ Erection**
  1. Verification of documents of pressure parts with relevant IBR certificates, MTC etc.
  2. Verification of the approved drawings and documents.
  3. Checking of the facsimile of the makers' stamp and other
  4. Identification marking with Form-II or other relevant IBR certificates.
  5. Checking of the leading dimension of the pressure parts with the approved drawing.
  6. Checking of the general condition of the pressure parts (like denting, deformation, crack pitting etc.)
  7. Checking of all Mountings and Fittings with relevant IBR document.
- 2. Standard Inspection Procedure and Check list for Material Inspection**
  1. Verification of the approved drawing corresponding to the material and documents.
  2. Checking of the pressure part material with relevant IBR certificate and approved drawing (Name of Part, Material Specification, Heat No., Cast No., Class, Size, Identification Number, Stamping etc.)
  3. Checking of leading dimension of the pressure parts with the approved drawing
  4. Checking of the general condition of the pressure parts visually.
  5. Selection of Samples for Physical and Chemical testing if required.
- 3. Standard Inspection Procedure and Check list for Steam Test of Boiler**
  1. Verification of the Provisional Order of the Boiler.
  2. Witnessing the Steam Test as per Indian Boiler Regulations, 1950.
  3. Checking of the Popping Pressure, Reset Pressure, Percentage Blow Down, Accumulation, Lift, Chattering etc. during Steam Test.
  4. Checking of the performance of all Mountings and Fittings during Steam Test.
- 4. Standard Inspection Procedure and Check list for Final Inspection**
  1. To carry out thorough visual inspection.
  2. Checking dimension and configuration as per approved drawing.
  3. Check the Identification Mark on the job.
  4. Stamp the pressure part with the Official Seal.
- 5. Standard Inspection Procedure and Check list for Approval / Recognition of Manufacturer**
  1. Scrutiny of submitted documents.
  2. Inspection of Premises, Verification of Manpower along with their Experience and Machineries.
  3. Submission of Report
  4. Technical Discussion.
  5. Issuance of Recognition Certificate.
- 6. Standard Inspection Procedures and Check list for Approval of Erectors**
  1. Scrutiny of Submitted Documents.
  2. Inspection of Premises, Verification of Manpower along with their Experience and
  3. Machineries.
  4. Submission of Report
  5. Technical Discussion.
  6. Issuance of Recognition Certificate.